आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

19.9.16

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0– 39/2013–14

रोजी देवी, पति–राकेश कुमार, सा0–भटियाही, पो0–बथनाहा, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया – वादी

बनाम

जागेश्वर मेहता, पिता–स्व0 ठक्कन दास, सा0–भदेश्वर, थाना–जोगबनी, जिला–अररिया – प्रतिवादी

आदेश

प्रस्तुत नामान्तरण पुनरीक्षण वाद आवेदिका श्रीमती रोजी देवी, पति–राजेश कुमार, सा0–भटियाही, पो0–बथनाहा, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया की ओर से नामान्तरण अपील वाद सं0 106/2012–13 (जागेश्वर मेहता बनाम रोजी देवी) में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 07.10.2013 से विक्षुब्ध होकर समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 26.02.2014 को भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत विलम्ब क्षांत करने हेतु एक आवेदन पत्र के साथ दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 07.03.2014 को नैसर्गिक न्याय के हित में विलम्ब को क्षांत करते हुए विचारार्थ स्वीकृत करते हुए दिनांक 14.08.2015 को विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया। जो विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1199/रा0, दिनांक 25.08.2015 द्वारा हस्तान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। विपक्षी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	कुल रकबा
भटियाही अंचल–फारबिसगंज	166	324	412	0.09 डी0 खतियानी रकवा 2.16 ए0

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का आर0एस0 खतियान मो0 सकुनी देवी, पति–ठक्कन दास के नाम से कुल रकवा 2.16 ए0 दर्ज है, जो अपने पिछे एक पुत्र जागेश्वर मेहता एवं तीन पुत्री सोनिया देवी वो उगिया देवी वो पार्वती देवी को छोड़ स्वर्गवास हुई। इस प्रकार उनके चारों वारिशानों को प्रश्नगत भूमि में ब हिस्सा बारबर यानि 54 डी0 भूमि प्राप्त हुआ। ठक्कन दास को दूसरी पत्नी गुलिया देवी निःसंतान मृत हुई। पार्वती देवी जो विपक्षी जागेश्वर मेहता की सगी बहन है, के मृत्यु के पश्चात् उनके तीन पुत्र हंसराज मेहता, नरेश मेहता एवं सुरेश मेहता द्वारा कुल 54 डी0 भूमि अरूण कुमार मेहता, अशोक कुमार मेहता वो संजय कुमार मेहता, पिता–जागेश्वर मेहता को निबंधित दस्तावेज सं0 7011, दिनांक 13.07.2010 द्वारा बिक्री कर दिया गया तथा उसी दिन जागेश्वर मेहता विपक्षी ने भी अपने पुत्र अशोक कुमार

19/09/16

मेहता के पक्ष में अपना हिस्सा ¼ यानि 54 डी0 भूमि बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 7025, दिनांक 13.07.2010 द्वारा बिक्री कर दिया। उक्त दोनों केवाला एक ही समय में सारे परिवार के सदस्यों के समक्ष एक ही निबंधन कार्यालय में एक हीं कातिव (मोहरीर), नारायण लाल दास द्वारा हस्तलिखित एवं दोनों केवाला में एक ही पहचानकर्त्ता 'मधुसूदन' है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि पार्वती देवी के तीनों पुत्रों का हिस्सा ¼ रकवा 54 डी0 जागेश्वर मेहता ने अपने मौजूदगी में करवाया, जिसकी पूर्ण जानकारी उन्हें थी। पुनः जागेश्वर मेहता का एक पुत्र अरूण कुमार मेहता ने उक्त केवाला के आधार पर प्रथम पक्ष रोजी देवी को निबंधित दस्तावेज सं0 7154, दिनांक 16.07.2010 द्वारा रकवा 09 डी0 भूमि बिक्री कर दखल करा दिया, जिसके आधार पर रोजी देवी द्वारा विधिवत अंचल कार्यालय, फारबिसगंज से नामान्तरण वाद सं0 7086/2012–13 द्वारा दाखिल–खारिज कराकर जमाबंदी कायम कराया गया।

इनका यह भी कहना है कि विपक्षी जागेश्वर मेहता को पूर्ण जानकारी रहने के बावजूद भी उनके द्वारा प्रथम पक्ष के नामान्तरण वाद सं0 7086/2012–13 के विरूद्ध विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में अपील वाद सं0 106/2012–13 दायर किया। जिसमें आवेदिका उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर दाखिल किया तथा दोनों पक्षों को सुनकर विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज ने अवैधानिक तथा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना किसी आधार के अंचलाधिकारी, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 07.05.2012 को निरस्त कर अपील को स्वीकृत कर दिया, जो सरासर न्याय विरूद्ध एवं असंगत है।

इनका यह भी कहना है कि विपक्षी का यह दावा कि पार्वती देवी सौतेली माँ गुलिया देवी की पुत्री है, इसलिये हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार पार्वती देवी को सकुनी देवी के सम्पत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होगा। इसके संबंध में स्पष्ट है कि गुलिया देवी निःसंतान मृत हुई और पार्वती देवी, सकुनी देवी की पुत्री है। जिसके संबंध में सकुनी देवी की पुत्री उगिया देवी द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, फारबिसगंज के समक्ष उपस्थित होकर शपथ पत्र सं0 4197/2016 द्वारा सत्यापित किया है कि पार्वती देवी उनकी अपनी बहन है तथा गुलिया देवी निःसंतान मरी है, जिसका वंशावली प्रमाण पत्र दोनों पक्षों द्वारा दाखिल किया है। जहाँ तक विपक्षी ने इस बात पर जोर दिया है कि आवेदिका द्वारा विपक्षी जागेश्वर मेहता को मृत जमाबंदी रैयत बताकर अंचलाधिकारी के न्यायालय से नामान्तरण आदेश प्राप्त किया है, तो सच्चाई यह है कि मूल जमाबंदी रैयत मसो0 सकुनी देवी थी तथा आर0एस0 खतियान प्रकाशन के बाद बी0टी0 एक्ट की धारा 109(सी) के तहत Fair rent सकुनी देवी के नाम से जमाबंदी दर्ज हुआ। विपक्षी जागेश्वर मेहता ने किस आधार पर सकुनी देवी के तीनो पुत्रियों को छोड़कर जमाबंदी अपने नाम कायम कराया है वो सरासर अवैधानिक है। जबकि मृत जमाबंदी रैयत सकुनी देवी है, उसकी जगह पर राजस्व कर्मचारी द्वारा साजिश पूर्ण तरीके से जागेश्वर मेहता को जमाबंदी रैयत दिखाया गया है वह गलत है।

इनका यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा यह दावा किया जाना कि पार्वती देवी की शादी नेपाल देश में होने की स्थिति में नेपाली नागरिक को भूमि हस्तांतरण का अधिकार नहीं है जिसके कारण उनके वारिशान हँसराज मेहता नरेश मेहता एवं सुरेश मेहता द्वारा निस्पादित केवाला रोजी देवी (प्रथम पक्ष) के पक्ष में निष्प्रभावी है। इसके संबंध में 1950 Indo-Nepal Treaty of Peace & Friendship दिनांक 31.07.1950 की छाया प्रति से स्पष्ट है कि इस संधि के आधार पर नेपाली नागरिक को भी भूमि हस्तांतरण का पूर्ण अधिकार है। जिसे विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता भी स्वीकार करते है।

इनका यह भी कहना है कि आवेदिका रोजी देवी ने अपनी दखली के दौरान उक्त खरीदगी भूमि एवं अन्य जमीन स्व0 सुरेन्द्र बाबु समृति संस्थान, बथनाहा के पक्ष में

19/09/16

33 वर्षों के लिये निबंधित लीज डीड सं0 4156, दिनांक 19.04.2012 के द्वारा लीज कर दिया गया है, जिसका उपयोग I.H.H.S. Academy, Bathnaha द्वारा किया जा रहा है तथा वर्त्तमान समय में विद्यालय का जल निकासी व्यवस्था प्रश्नगत जमीन होकर ही है। जहाँ तक ठक्कन दास के वंशावली प्रमाण–पत्र का प्रश्न है, तो प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल वंशवली प्रमाण–पत्र अंचलाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा निर्गत दिनांक 22.08.2015 का है एवं विपक्ष द्वारा दाखिल वंशावली प्रमाण–पत्र भी अंचलाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा दिनांक 10.06.2016 को निर्गत है। दोनों वंशावली अंचल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा निर्गत है और दोनों में भिन्नता है। जबकि मसो0 सकुनी देवी की पुत्री उगिया देवी द्वारा शपथ पत्र सं0 4197, दिनांक 22.08.2016 के माध्यम से सत्यापेत किया है कि तीनों बहन क्रमशः सोनिया देवी, पार्वती देवी वो उगिया देवी एक ही माता सकुनी देवी के संतान है तथा गुलिया देवी जो मेरे पिता की दूसरी पत्नी थी वो निःसंतान मृत हुई है।

उपरोक्त सभी तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का पारित आदेश दिनांक 07.10.2013 सरासर अवैधानिक, मनमाना, मनगढ़ंत, विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार से परे है। विज्ञ अंचलाधिकारी, फारबिसगंज का पारित आदेश दखल के बिन्दु पर संतुष्ट होकर पारित किया गया है, जो नामान्तरण का मूल आधार है। अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज का पारित आदेश निरस्त योग्य है, जिसे रद्द करने का अनुरोध करते हैं।

प्रथम पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में सूचीवद्ध निम्नांकित कागजात की छाया प्रति दाखिल किया गया है :–

1. प्रश्नगत भूमि का आर0एस0 खतियान।
2. लगान रसीद सं0 00435404, दिनांक 27.06.2013
3. अंचलाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा निर्गत दिनांक 22.08.2015 की वंशावली।
4. अंचलाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा निग्रत दिनांक 10.06.2016 की वंशावली।
5. निबंधित दस्तावेज सं0 7011, दिनांक 13.07.2010
6. निबंधित दस्तावेज सं0 7025, दिनांक 13.07.2010
7. निबंधित दस्तावेज सं0 7154, दिनांक 16.07.2010
8. उगिया देवी द्वारा शपथ पत्र सं0 4197, दिनांक 22.08.2016
9. नेपाल मैत्री संधि 1950, दिनांक 31.07.1950
10. लीज डीड सं0 4156, दिनांक 19.04.2012

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का कुल खतियानी रकवा 2.16 एकड़ है जिसका खतियानी रैयत मसो0 सकुनी देवी, पति–ठक्कन दास है। मसो0 सकुनी देवी से ठक्कन दास को एक मात्र पुत्र विपक्षी जागेश्वर मेहता हुआ। ठक्कन दास की दूसरी पत्नी गुलिया देवी से तीन पुत्री क्रमशः सोनिया देवी, पार्वती देवी एवं उगिया देवी हुई। जिसके आधारपर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इन तीनों पुत्रियों का सकुनी देवी की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नही होगा।

इनका यह भी कहना है कि जागेश्वर मेहता (विपक्षी) जीवित है और इनके जीवित रहते हुए इनके पुत्रों को वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं बनता है। ठक्कन दास की दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान पुत्री पार्वती देवी के वारिशान से प्रश्नगत खेसरा 412 से दिनांक 13.07.2010 को निबंधित दस्तावेज से रकवा 54 डी0 भूमि जागेश्वर मेहता के तीनों पुत्रों द्वारा क्रय कर, उसमें से एक पुत्र अरूण मेहता द्वारा 9 डी0 भूमि आवेदिका प्रथम पक्ष को निबंधित दस्तावेज से दिनांक 16.07.2010 को बिक्री किया गया है। जबकि उक्त भूमि विक्रय करने का अधिकार न तो पार्वती देवी के वारिशानों को और न हीं अरूण मेहता को है। प्रथम पक्ष रोजी देवी द्वारा क्रय केवाला का दाखिल–खारिज जागेश्वर मेहता को मृत घोषित कर अंचल द्वारा कराया गया है।

19/09/16

जबकि विपक्षी जागेश्वर मेहता अभी जीवित है। प्रथम पक्ष के नामान्तरण वाद सं0 7086/2012–13 में दिनांक 07.05.2012 के पारित आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं0 106/2012–13 दाखिल किया गया। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा पक्षकारों की सुनवाई कर तथा कागजातों के आलोक में विपक्षी के दावे को सही पाते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करते हुए अंचलाधिकारी, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 07.10.2013 को निरस्त किया गया है, जो सही एवं विधि संगत है। जिसे बहाल रखने हुए आवेदिका के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालयों के अभिलेखों के परिशीलन तथा संलग्न साक्ष्यों के गहन समीक्षोपरांत स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का आर0एस0 खतियान मसो0 सकुनी देवी, पति–ठक्कन दास के नाम से कुल रकवा 2.16 एकड़ दर्ज है। सकुनी देवी अपने पिछे एक पुत्र एवं तीन पुत्री को छोड़कर स्वर्गवास हुई। द्वितीय पक्ष का दावा है कि तीनों पुत्री सकुनी देवी की पुत्री नहीं थी, वो तीनों ठक्कन दास की दूसरी पत्नी गुलिया देवी की पुत्री थी, तो इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य समर्पित नहीं है। अंचल अधिकारी, फारबिसगंज द्वारा समर्पित वंशावली दिनांक 22.08.2015 एवं 10.06.2016 दोनों में भिन्नता है। पार्वती देवी जिसकी शादी नेपाल देश में हुई है, उनके वारिशों द्वारा जागेश्वर मेहता के पुत्रों को अपनी माँ की हिस्से की 54 डी0 भूमि बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 7011, दिनांक 13.07.2010 द्वारा बिक्री किया गया है, जो 1950 Indo Nepal Treaty of Peace & Friendship दिनांक 31.07.1950 के अनुसार निस्प्रभावी नहीं है। उक्त खरीदगी भूमि के अंदर से एक भाई अरूण कुमार मेहता, पिता–जागेश्वर मेहता द्वारा बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 7154, दिनांक 16.07.2010 द्वारा अपने हिस्से से 9 डी0 भूमि आवेदिका प्रथम पक्ष को बिक्री किया गया है। जिसका दाखिल–खारिज वाद सं0 7086/2012–13 द्वारा आवेदिका के पक्ष में जमाबंदी दर्ज हुआ। किन्तु दाखिल–खारिज वाद सं0 7086/2012–13 में हल्का कर्मचारी द्वारा जमाबंदी रैयत को मृत दर्शाया गया, जो निश्चय ही भूल है।

जहाँ तक प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा का प्रश्न है, तो प्रथम पक्ष द्वारा क्रय उपरांत प्रश्नगत भूमि के साथ–साथ अन्य भूमि को निबंधित लीज डीड सं0 4156, दिनांक 19.04.2012 द्वारा स्व0 सुरेन्द्र बाबु समृति संस्थान, बथनाहा को 33 वर्षों का लीज तथा, उसका उपयोग I.H.H.S. Academy Bathnaha द्वारा किया जाना तथा विद्यालय का जल निकासी व्यवस्था प्रथम पक्ष के दखल–कब्जा की पुष्टि करता है। साथ हीं साथ हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा नामान्तरण प्रस्ताव में भी आवेदिका के दखल–कब्जा की पुष्टि की गई है।

पार्वती देवी के वारिशानों द्वारा निष्पादित दस्तावेज सं0 7011, दिनांक 13.07.2010 जो अरूण कुमार मेहता एवं अन्य के पक्ष में तथा विपक्षी जागेश्वर मेहता द्वारा अपने एक पुत्र अशोक कुमार मेहता के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज सं0 7025, दिनांक 13.07.2010 से स्पष्ट है कि उक्त दोनों केवाला एक ही दिन एवं समय में सारे परिवारों के समक्ष एक ही निबंधन कार्यालय में एक ही कातिब (मोहरीर) तथा दोनों केवाला पर एक ही पहचानकर्त्ता का होना यह प्रमाणित करता है, निष्पादित दस्तावेज सं0 7011, दिनांक 13.07.2010 की पूरी जानकारी विपक्षी जागेश्वर मेहता को थी। जिसके तीन दिन पश्चात् दिनांक 16.07.2010 को अरूण मेहता, पिता–जागेश्वर मेहता द्वारा आवेदिका प्रथम पक्ष को प्रश्नगत भूमि बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 7154 द्वारा बिक्री कर दिया गया। जिसके दाखिल–खारिज के विरूद्ध विपक्षी जागेश्वर मेहता द्वारा विज्ञ भूमि सुधार के न्यायालय में चुनौती दिया जाना और विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा आवेदिका के निष्पादित केवाला में स्वत्व का जटिल प्रश्न खड़ा करते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित किया जाना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि

19/09/16

निष्पादित केवाला को जबतक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती है तथा उसकी वैद्यता समाप्त नहीं हो जाती है तबतक विज्ञ अंचलाधिकारी के पारित आदेश दिनांक 02.06.2012 को बहाल रखते हुए विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 07.10.2013 को विखंडित किया जाता है। पुनरीक्षणकर्त्ता के पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। इसी विनिश्चय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज/अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

अपर समाहर्त्ता
अररिया

अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 117 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 20 / 09 /2016

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को नामान्तरण अपील वाद सं0 106/12–13 (जागेश्वर मेहता बनाम रोजी देवी) मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : नामान्तरण अपील वाद सं0 106/12–13 मूल में।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को नामान्तरण वाद सं0 7086/2012–13 मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : नामान्तरण वाद सं0 7086/2012–13

19.9.16
अपर समाहर्त्ता
अररिया